

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक...

010642

प्रारूप -- 9

नियम 8 (2) देखिये

दिनांक २५०४/२७६

संख्या ३०९



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र  
( अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन )

नवीकरण संख्या

44

पत्रावली संख्या

54895—एम

दिनांक

2010-2011

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि जे०पी० एजूकेशनल एण्ड

वैलफेर सोसायटी, 752, सुमनपुरी वागपत रोड, मेरठ

को

1305

22-01-2011

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र ..... दिनांक ..... को दिनांक

22-01-2016 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

25-04-2016

जारी करने का दिनांक.....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश

- प्रमाण लाई रखा  
प्रमाण लाई पूरा रखा  
प्रमाण का कार्यक्रम  
प्रमाण के उद्देश्य
- : जो०पी० एजुकेशन एण्ट्री वैलफ्रेयर सौराष्ट्री।  
: ७५२, सुमंगली, बागपत रोड, गोरठ।  
: समर्पा उत्तर प्रदेश होगा।  
: निम्नलिखित होगे :-

1. शामीण एवं शहरी शेज में सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय, कालेज एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
2. निर्धन व अनाथ बालक/ बालिकाओं के सिलाई, कठाई, बुनाई जैसे ऊन्हा हस्तशिल्प शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर संचालन करना एवं उनको आत्म निर्भर बनाना।
3. युवा वर्ग के लिए रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों का संचालन एवं संपादन करना।
4. विछटी जाति, अनुसूचित जाति-जनजाति, विफलांगों आदि के आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज की स्थापना करना तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना।
5. विविध जातियों जैसे भुक्त्य, अग्निकांड, याढ़, महोंगारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं राहत सामग्री आदि सुविधाये उपलब्ध कराना।
6. लोकोस लोकोस हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज की स्थापना करना तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना।
7. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे खेल-कूद, वाद-विवाद, चित्रकला, सामान्य ज्ञान आदि का आयोजन कराना।
8. विकित्ता कैप्प, शिविरों का आयोजन कराकर परिवार कल्याण एवं पोलियो, संक्रामक रोग के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
9. शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए उचित शैक्षिक वातावरण तैयार करके शिक्षा प्रदान करना।
10. बच्चों तथा युवकों/ युवतियों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय की स्थापना करना।
11. मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित कर उनके मनोबल को सश्वत् देना।

जो० पी० कॉलिज ऑफ इयर एजुकेशन  
सिंधुवली अद्वीर, जिला बागपत  
सत्य प्रतिलिपि

विश्वविद्यालय  
फार्मल्ड रोड, निर्मला

Maurice P. M. / १३०८०  
राजीव भट्टा

## नियमावली

- 1- संस्था का नाम : जो०पी० एजूकेशन एण्ड वैलफेर सोसायटी।
- 2- संस्था का पूरा पता : 752, सुमनपुरी, बागपुत रोड, मेरठ।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य : सृति-पत्र के अनुसार होंगे।
- 5- संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

क- सदस्यता :-

जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालियां न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख- सदस्यों के वर्ग :-

अ- आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 2100/- रु० नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ब- सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुए उसने संस्था को एक मुश्त 151/-रु० नकद वार्षिक शुल्क या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा।



Mewa Umer

सत्य प्रतिलिपि

अरिष्ट सहायक/अन्वेषक

### सदस्यता की समाप्ति :-

- 1- सदस्य की मृत्यु होने पर।
- 2- सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर।
- 3- संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
- 4- सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर।
- 5- संस्था के विरुद्ध कार्यों में संतिष्ठ पाये जाने पर।
- 6- संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थिति रहने पर।

### संस्था के अंग :-

क- साधारण सभा ।

ख- प्रबन्धकारिणी समिति ।

### साधारण सभा :-

क-गठन:- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी ।

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेजर द्वारा दी जायगी ।

साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक के लिए कोरम की पावन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो ।

### ड- विशेष वार्षिक अधिवेशन :-

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

### च-साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।

सचिव  
ज० प० कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन  
सिंघावली अहीर, जिला बागपत



/3/

- 2- संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना ।
  - 3- संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/ 3 बहुमत से करना ।
  - 4- संस्था की नीति निर्धारित करना ।
  - 5- संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना ।
- 9- प्रबन्धकारिणी समिति :-

क-गठन :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा। जिसमें अध्यक्ष- एक, उपाध्यक्ष- एक, प्रबन्धक- एक, उपप्रबन्धक- एक, कोषाध्यक्ष- एक एवं सदस्यगण- दो से पांच होंगे। जो आवश्यकता पड़ने पर घट बढ़ सकती है।

ख-बैठकें :-

सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर चौथाई जा सकती है।

सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्हीं विषयों पर विचार होता हो।

को पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी।

घ-कार्यकाल :-

प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

इ:-प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन करना ।
- 2- संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।

### सत्य प्रतिलिपि

परिषद सहायक/अध्येतर  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
कर्तव्य संख्यावाचक संस्कृत

११-०१-११ Monica Patel

११-०१-११

३१-०१-११

११-०१-११

३१-०१-११

/१/

- ३- संस्था की पार्श्विक टिपोट, घजट आदि को तैयार करना।
  - ४- प्रबन्धकारिणी समिति गे जाकास्टिक रिप्ट पद की पूर्ति करना।
  - ५- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धान, घन्या, चहण, गुड़ुकान, भूगि, भवन, छल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।
- ०- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-
- अध्यक्ष :-

- १- संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना।
- २- सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचनां जारी करना।
- ३- समाज मतं छोने पर अपना निष्णिक मत देना।
- ४- संस्था के हित में कार्य करना।

अध्यक्ष की अनुपरिधिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।



- १- संस्था के अभिलेखों का रेख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण करना।
- २- संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल यूनिट आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- ३- संस्था के समरत बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित भी करना।
- ४- संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।

## सत्य प्रतिलिपि

परिषद् संस्थान/अध्येतपक  
कार्यालय डिपार्टमेंट रजिस्ट्रार  
राज्य सोसायटीज़ ब्रुथा चिट्ठा भैरव

20/11/2011  
राज्य सोसायटीज़ ब्रुथा चिट्ठा भैरव

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

5-

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के साथ मिलकर दान-अनुदान, घन्दा, ब्रह्मण, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, विभागों, बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करना। संस्था के हित में कार्य करना।

6-

संस्था के सदस्य/ कर्मचारी के त्याग-पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृत के बाद संस्तुति करना।

उपप्रबन्धक :-



प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपप्रबन्धक को निहित होंगे।

संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्रांज करना।

संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

3-

अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

1- नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/ परिवर्तन मात्र होगा।

2- संस्था का कोष :-

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी भी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

## सत्य प्रतिलिपि

प्रियं सहायक/अध्येता  
गवालय डिप्टी श्रीजित्सुर  
सोसायटीज तथा विद्युत मंड़ा  
०११  
Monica Yadav

सत्य व्यवहार परिवर्तन :-

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा  
लोगो द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14- कानूनी कार्यवाही :-

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के  
प्रतीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेगी।



15- रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेंट, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि  
प्रत्येक ही, रखे जायेगे।



16- संस्था की विधेन एवं विवरित सम्पत्ति के नियन्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज  
रजिस्ट्रेशन एकट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक- (८/१/११)

सत्यप्रतिलिपि।

**सत्य प्रतिलिपि**

સાંસ્કૃતિક/કાર્યક્રમ  
કાર્યક્રમ કિંદો કંપની  
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કિંદો કંપની

21/2/2011 (Date)

S. J. Patel  
P. S. Patel

Tar Patel  
Monica Patel  
J. Patel  
S. J. Patel

121

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम,  
पिता/पति का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको नियमानुसार  
कार्यभार सौंपा गया है।

नाम व पिता / पति वा साथ

	पता	पद	व्यवसाय
1. श्री जयपाल सिंह यादव पुत्र श्री पूरन सिंह	752, किशनपुरा, मेरठ।	अध्यक्ष	कृषि
2. श्रीमती मोनिका पत्नी श्री ललित कुमार	752, किशनपुरा, मेरठ।	उपाध्यक्ष	गृहणी
3. श्री ललित कुमार पुत्र श्री जयपाल सिंह	752, किशनपुरा, मेरठ।	प्रबन्धक	कृषि
4. श्रीमती शशीबाला पत्नी श्री जयपाल सिंह	752, किशनपुरा, मेरठ।	उपप्रबन्धक	गृहणी
5. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री जयपाल सिंह	752, किशनपुरा, मेरठ।	कोषाधक	व्यापार
6. श्रीमती शिखा यादव पत्नी श्री मनीष यादव	752, दिनेश विहार, बागपत रोड, मेरठ।	सदस्य	गृहणी
7. पूजा पुत्री श्री जयपाल सिंह	752, किशनपुरा, मेरठ।	सदस्य	अध्ययन

एवं नियम व्युक्ति दोषिता है कि इस स्मृति-पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो०रजिऽ०एक्ट 1860 के  
अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।



हस्ताक्षर:

Manjyal  
Raj  
Lal Yadav  
Sikhar  
27/1/2015

सत्य संतिलिपि

धर्मिण सहायक/अन्वेषक  
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार  
पर्सनल संपादकील तथा चिट्ठा भेज

20-01-11